

298

174

निमं-4440/2018/रीवा/रू-सं०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



अधिकांश प्रवेश मिष्ट्रा
द्वारा पेशा 17-7-18

मलक आफ कोर्ट
राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मो. आरिफ पिता मो.गनी निवासी पचमठा घोघर, तहसील हुजूर जिला

रीवा म०प्र०

..... आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम

1. अनीश ताहिरा पत्नी अमीनुददीन सिददीकी उम्र 78 साल निवासी मोहल्ला कटरा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०प
2. मंजुला सिंह पुत्री स्व०केदार सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 16 खीन्द्र नगर उर्रहट रीवा म०प्र०
3. बद्री प्रसाद सिंह पिता रामप्रगास सिंह निवासी अरुण मार्ग नेहरू नगर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०
4. रामनारायण गुप्ता पिता साधू लाल गुप्ता निवासी उर्रहट बरा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

.....अनावेदकगण/ गैर निगरानीकर्तागण


न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा
म०प्र०के सं०प्र०क०158अ74/17-18अनीश ताहिरा
बनाम मो० आरिफ वगैरह मे पारित आदेश दिनांक
29.5.2018 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म०प्र०भू०रा०सं०

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....दिनांक 4440/2018/भू-शु..... जिला.....शिव.....

.....मां आरफ..... विरुद्ध.....अनिसा खादिर.....

1	2	3
16/19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....<u>देवेश मिश्रा</u>.....अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील.....<u>हुजूर</u>.....के प्रकरण क्रमांक.....<u>158/अ-74/2017-18</u>.....में पारित आदेश दिनांक <u>29.05.18</u>.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....<u>शिव</u>.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>30.03.19</u>.....को कलेक्टर.....<u>शिव</u>.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p align="right"> सदस्य</p>	

